भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 139

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: महिला किसानों की ऋण मुक्ति

139. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'मकाम' (एमएकेएएएम) जैसे नागरिक वर्ग समूहों की महिला किसानों हेतु एक पृथक् नीति की मांग के अलावा, आत्महत्या करने वाले कृषक परिवारों की महिला किसानों के ऋण माफ करने की भी मांग रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आत्महत्या करने वाले कृषक परिवारों को भारत के सभी राज्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक एकसमान नीति सुनिश्चित करने और परिवार में जीवित लोगों के ऋण माफ करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में जब से राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में 'किसान' की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था तब से महिला किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की बड़ी संख्या को 'गृहणी' श्रेणी में दर्ज किया जाता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस स्थिति की बेहतर निगरानी और समस्याओं के समाधन के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आत्महत्याओं के आंकड़ों की प्रस्तुति के बीच समुचित अंतर किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): 'मकाम' जैसे सिविल सोसायटी समूहों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख): कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करती हैं। हालांकि, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता तथा विविध स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। भारत सरकार की कई स्कीमें/कार्यक्रम उत्पादन, किसानों के लाभकारी रिटर्न और आय में बढ़ोतरी के लिए किसानों के कल्याणार्थ हैं।

(ग): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन और प्रचार-प्रसार करता है। आत्महत्याओं से संबंधित 2019 तक की ये रिपोर्ट इसकी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 के लिए एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार गृहिणी द्वारा की गई आत्महत्याओं में महिला किसानों की संख्या शामिल नहीं है। आत्महत्या करने वाली गृहिणियों की कुल संख्या 21,359 है जबकि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़ें निम्नानुसार हैं:

पुरूष किसान : 9,312

महिला किसान : 969

कुल : 10,281

(घ): सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान देश में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या के लिए विविध कारणों का पता लगाने के लिए 'किसान आत्महत्या: अखिल भारतीय अध्ययन' नामक अध्ययन संचालित किया। यह अखिल भारतीय अध्ययन 13 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में संचालित किया गया है जिसमें 46 जिले, 138 तालुका, 388 गांव तथा 588 पीड़ित परिवार के नमूने शामिल हैं। अध्ययन का संदर्भ वर्ष 2015-16 (जून, 2015-मई, 2016) निर्धारित किया गया। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

I. चयनित राज्यों में किसानों की आत्महत्या संबंधी घटनाओं और प्रसार का विश्लेषण करना तथा आत्महत्या हॉट-स्पॉटों को चिन्हित करना,

II. पीड़ित परिवारों में सामाजिक-आर्थिक प्रोफाईल, फसलन पैटर्न तथा उपादेयता का अध्ययन

III. आत्महत्याओं को उकसाने वाले कारणों का अध्ययन,

IV. किसानों की आत्महत्या को टालने के लिए उपयुक्त नीतियों की सिफारिश करना।

****